न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 62/2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । – आवेदक–

बनाम

1. श्री बिशनलाल सैनी पुत्र श्री लल्लूराम सैनी
एफबीओ मैसर्सः– दिलखुश जनरल स्टोर, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा जिला दौसा
– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 26.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश प्रजापत ने दिनांक 04.5.2023 को दोपहर 11.10 बजे मैसर्स दिलखुश जनरल स्टोर, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर श्री बिशनलाल सैनी पुत्र श्री लल्लूराम सैनी उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर एक प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 5 किलोग्राम मुनक्का खुला **(Munnakka) Loose)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जॉच हेतु 1000 ग्राम मुनक्का खुला **(Munnakka) Loose)** को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एक साफ सूखे व खाली डिब्बे में खरीदा। जिसकी कीमत 520 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1000 ग्राम मुनक्का खुला **(Munnakka) Loose)** को डिजिटल वेट मशीन से तौलकर 250–250 ग्राम चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर डाला, चारो बोतलों को ढक्कन लगाकर बन्द किया। चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–3502 गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार–चार जगह चपडी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद भाग व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 5.5.2023 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील कर स्वयं द्वारा दिनांक 5.5.2023 को डी. ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद भाग व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 5.5.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त खाद्य पदार्थ मुनक्का खुला (Munnakka) Loose) के नमूना की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./846/एक्ट/2023/868 दिनांक 1.6.2023 के अनुसार अवमानक स्तर (SubStandard) का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./846/एक्ट/2023/868 दिनांक 1.6.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मुनक्का खुला (Munnakka) Loose) का नमूने की जांच में Damaged Raising Units % by Weight 19.80 प्रतिशत पाया गया है, जो मानक स्तर के अनुसार अधिकतम 2.0 प्रतिशत होना चाहिये था। जिसके कारण खाद्य पदार्थ मुनक्का खुला (Munnakka) Loose) का नमूना अवमानक स्तर (SubStandard) का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अवमानक स्तर (SubStandard) खाद्य पदार्थ मुनक्का खुला (Munnakka) Loose) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मुनक्का खुला (Munnakka) Loose) बाजार से खरीदकर ग्राहको को उनकी मांग के अनुसार विक्रय किया जाता है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट इसमे नहीं की जाती है। नमूनें में पाई गई कमी को सुधार कर लिया जायेगा एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं हो। इसका ध्यान रखा जायेगा। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाये जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /846/एक्ट/2023/868 दिनांक 1.6.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मुनक्का खुला (Munnakka) Loose) का नमूना अवमानक स्तर (SubStandard) का पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अवमानक स्तर (SubStandard) खाद्य पदार्थ मुनक्का खुला (Munnakka) Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री बिशनलाल सैनी पुत्र श्री लल्लूराम सैनी एफबीओ मैसर्सः—दिलखुश जनरल स्टोर, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा जिला दौसा पर 4000/—(अक्षरे चार हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 26.09.2023 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/FSSA/ दिनांकः— 26.09.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री बिशनलाल सैनी पुत्र श्री लल्लूराम सैनी
   एफबीओ मैसर्सः— दिलखुश जनरल स्टोर, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा जिला दौसा

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा